भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3826
जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

आयकर अपीलीय

+3826. श्री मलूक नागर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपीलीय अधिकरण में 126 सदस्यों के स्थान पर केवल 88 सदस्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त सदस्यों के अभाव के कारण देशभर में 91,679 मामले लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या लंबित मामलों में 90,000 करोड़ से अधिक रुपये शामिल हैं जबकि कई मामलों में करोड़ों रुपये वसूल किए जाने हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कतिपय उद्योगपतियों या प्रभावशाली हस्तियों द्वारा ऐसे मामलों को जान-बूझकर लंबित किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : तारीख 01.11.2019 की स्थिति के अनुसार आय-कर अपील अधिकरण में 126 सदस्यों की पद संख्या के सापेक्ष 85 सदस्य हैं।

(ख) : तारीख 01.12.2019 की स्थिति के अनुसार आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष देश भर में 89,591 मामले लंबित पड़े है।

(ग) : ऐसी कोई सूचना आय-कर अपील अधिकरण द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : उपरोक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता है।

****